इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 26.12.2017 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या 04 के अन्तर्गत नैनी क्षेत्र में अवैध निर्मांणों के विरूद्ध व्यापक रूप से ध्वस्तीकरण एवं सील बंदी की कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी एवं श्री सीता राम त्रिपाठी द्वारा रीवा रोड पर चाका ब्लाक के पास ग्राम डभॉव में लगभग 50 बीघे में किया अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराया गया तथा उक्त अनधिकृत प्लाटिंग में निर्माणाधीन 05 भवनों को सील किया गया। श्री त्रिपाठी आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है।
2. श्री रिशाद अहमद 131/88 महेवा पूरब पट्टी, नैनी द्वारा पुरानी रीवा रोड पर हिगिंस रेस्टोरेंट के पास लगभग 25X70 के क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था जिसे ध्वस्त कराने के दौरान पक्ष द्वारा मानचित्र दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शमन अग्रिम के रूप में रूपया 2.00 लांख का चेक जमा करने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गयी।
3. डा0 सत्या पाण्डेय द्वारा संचालित सत्यम जी0एच0एस0इण्टर कालेज ड़भॉव में रीवा रोड पर कालेज परिसर में निर्माणाधीन 04 दुकानों को सील किया गया।
4. श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल व लाली देवी पत्नी सुरेश चन्द्र जायसवाल द्वारा निर्मित व निर्माणाधीन भवन के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु मौके पर एक सप्ताह के अन्दर मानचित्र दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र देने एवं रूपया 3.00 लांख का चेक शमन अग्रिम के रूप में देने की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गयी।
5. श्री राजमणि यादव द्वारा मौजा मड़ौका नैनी में आराजी संख्या 419 व अन्य पर लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में की गयी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जायेगा। उक्त अवैध प्लाटिंग में स्थित 02 निर्माणाधीन भवनो को सील किया गया।
6. श्रीमती अरूणा साहू द्वारा मौजा मड़ौका, नैनी में आराजी संख्या 419 व अन्य पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में की गयी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी।
7. श्री राजीव अग्रवाल द्वारा आराजी संख्या 332 व अन्य में मौजा मड़ौका, नैनी में लगभग 20 बीघा भूमि पर की गयी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जायेगा। उक्त प्लाटिंग में स्थित निर्माणाधीन 01 भवन सील किया गया।
8. आराजी संख्या 130 व 131 महेवा पश्चिम पट्टी, नैनी पर अतिक्रमण कर रखी गयी गुमटी व शेड में सचालित 03 दुकानों आदि को हटाकर/ध्वस्त कर लगभग 500 वर्ग मीटर प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि अवमुक्त करायी गयी। इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जा रहा है। इस प्रकार से लगभग 70 बीघा में कुल 04 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराया गया, 09 निर्माणाधीन अवैध भवनों को सील कराया गया तथा लगभग 500 वर्गमीटर प्राधिकरण की भूमि पर स्थित अतिक्रमण हटवाया गया और शमन अग्रिम के रूप में रूपया 05.00 लांख स्थल से वसूल किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियंता सच्चिदानन्द सिंह,सुनील कुमार शर्मा,अंशु गर्ग भवन निरीक्षक श्री कुंवर सिंह क्षेत्राधिकारी करछना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर औद्योगिक क्षेत्र नैनी,चौकी इंचार्ज ए.डी.ए. कालोनी सहित पुलिस व पी0ए0सी0 बल एवं ए.डी.ए. पुलिस व प्रवर्तन दल उपस्थित रहे।

(पी0एन यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

26.12.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क